

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.3(55)नवि/3/2002

जयपुर दिनांक:

—: आदेश :—

12/9 AUG 2006

राजस्थान नगर विकास (शहरी भूमि नियंत्रण) नियम 1974 के नियम 7(1) में शहरी जनावन्दी आवधि दर पर लिए जाने के प्रावधान है। उक्त नियम के परन्तुक में नियम 18 के अन्तर्गत भूमि आवंटन के मामले में गज्य सरकार द्वारा नेटिके आदार पर शहरी जनावन्दी किन्हीं शर्तों, दर पर निर्धारित की जा भकती है।

पब्लिक एवं घेरीटेल संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन के संदर्भ में इस विभाग द्वारा जारी नीति परिपत्र क्रमांक 3(55) नवि/3/02 दिनांक 14.02.05 के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आने वाले प्रकरणों के संबंध में परीक्षण कर निर्णय लिये जाने हेतु गठित मंत्रिनण्डलीय उप समिति ने अपनी बैठक दिनांक 05.07.06 में रियायती दर पर भूमि आवंटन के मामलों में आवंटन दर एवं ही लीज राशि लिये जाने एवं इस हेतु सामान्य आदेश द्वारा प्रावधान किए जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः रियायती दर पर भूमि आवंटन के समस्त प्रकरणों में इस आदेश के पश्चात् आवंटन दर पर ही लीज राशि देय होगी। उक्त तिथि से पूर्व नियमानुसार जो दर ली जा रही थी वही वस्तुत की जायेगी।

आज्ञा से

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यदाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- निजी सचिव, माननीय गृह मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 2- निजी सचिव, चन एवं पर्यावरण मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 3- निजी सचिव, विकित्साएवं स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 4- निजी सचिव, राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं ऊदासन विभाग, जयपुर
- 5- निजी सचिव, प्रमुख शासन राजिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर
- 6- निजी सचिव, शासन सचिव, रवायत शासन विभाग, जयपुर
- 7- निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर
- 8- सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
- 9- सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
- 10- सचिव, नगर विकास नगरा (नमरत)
- 11- राष्ट्रीय पत्रावली

उप विधि दरामर्शी